न्यायालय बइजलास अम्बालाल मीना उपखण्ड अधिकारी कनवास

,जिला कोटा राज0

मि0न0– 71/2014

सलामतुल्ला खान पुत्र रहमतुल्ला खान जाति मुसलमान निवासी ग्राम कनवास तहसील कनवास

– वादी

1– सलामतुल्ला पुत्र रहमतुल्ला जाति मुसलमान निवासी कनवास सेठ इलाहीबख्श जी के मकान के पास कनवास तहसील कनवास

2– राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार कनवास ।

– प्रतिवादी

वाद अर्न्तगत धारा 88,89,188 आर टी एक्ट

– निर्णय –

दिनांक 09/03/16

वाद का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि :–

वादी के खाते एवं कब्जे काश्त की कृर्षि भूमि माल ग्राम कनवास तह0 सांगोद हाल कनवास में साबिक खसरा न. 1596/2163 की 5 बीधा 1 बिस्वा रही है । जिसके वर्तमान ख.न. 1389 की 0.82 है0 है उक्त कृर्षि भूमि को वादी ने 300/–रू0 में खरीद किया था तथा खरीद के उपरान्त उक्त कृषि भूमि इन्तकाल न0 156 से वादी के खाते दर्ज की गई । सेटलमेन्ट से पूर्व ख.न. 196/2163 की 5 बीधा 1 बिस्वा कृर्षि भूमिअलग दर्ज थी,इसी प्रकार प्रतिवादी के खाते मे भी मात्र साबिक ख.न. 1679/2309 की 4 बीधा प्रथक से दर्ज थी जिन्हे सहवन से दोनो व्यक्तियों के नाम था वल्दीयत समान होने से एक ही व्यक्ति को समण्कर प्रतिवादी के खाते में दर्ज कर दिया। अतः वादी के पक्ष में एवं प्रतिवादी के विरूध धोषणात्मक आज्ञप्ति की डिकी प्रदान की जाकर वादी को ग्राम कनवास तहसील सांगोद हाल कनवास मे स्थित ख.न. 1389 की 0.82 है0 जिसके साबिक ख.न. 1596/2163 रकबा 5 बीधा 1 बिस्वा है0 का खातेदार धोषित किया जावे।

दावा दर्ज रजिस्टर किया जाकर । प्रतिवादीगण की तलबी की गई । प्रतिवादी द्वारा उपस्थित होकर इकबालिया जवाब प्रस्तुत करते हुऐं अवगत करवाया कि वादी का वाद स्वीकार कर ख.न. 1389 की 0.82 है0 कृर्षि भूमि जिनमें साबिक ख.न. 1596/2163 है की वादी के खाते दर्ज किये जाने में मुझ प्रतिवादी क्र.म. 1 को कोई आपत्ति नही है तथा उक्त ख.न. 1389 की 0.82 है0 कृषि भूमि को मुझ प्रतिवादी कम 1 के खाते से निकाले जाने में मुझ प्रतिवादी न.1 को कोई आपत्ति नही है।

उपखण्ड अधिकारी
एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
कनवास जिला कोटा (राज0)

प्रकरण में जवाब सरकार पेश हुआ । जवाब सरकार प्रस्तुत कर अवगत करवाया कि जमाबंदी सम्वत् 2033 सें 2036 में आराजी ख.न. 1591/2163 रकबा 5.01 बीधा भूमि वादी सलामतुल्ला खा वल्द रहमतुल्ला खा कोम मुसलमाल सा. कनवास के खाते में दर्ज था एवं इसी जमाबंदी में आराजी ख.न. 1679/2309 रकबा 4.00 बीधा भूमि प्रतिवादी न.1 सलामतुल्ला आ0 रहमतुल्ला कोम मुसलमान सा. कनवास के खाते में दर्ज रेकार्ड है उक्त दोनो खातों को एक खाते मे प्रतिवादी न.1 के नाम दर्ज हो गया है साबिक ख.न. 1596/2163 रकबा 5.01 बीधा हाल ख.न. 1389 रकबा 0.82 है0 भूमि वादी के नाम दर्ज किया जाकर इन्द्राज दुरस्त किये जावे ।

प्रकरण इन्द्राज दुरस्ती का है जिसमें प्रतिवादीगण ने स्वंय उपस्थित होकर इकबालिया जवाब प्रस्तुत कर दावा डिक्री किये जाने में अनापत्ति जाहिर कि है। अतः हमें प्रकरण में तनकीयान कायम किया जाना जरूरी नही लगता है साथ ही दावा इसी स्तर पर डिक्री किये जाने योग्य प्रतीत होता है। जवाब दावे में प्रतिवादी नें वादीगण को खातेदार धोषित करने एवं स्थाईनिषेधाज्ञा जारी किये जाने में अनापत्ति जाहिर कि है । अतः वाद वादी स्वीकार किया जाता है। वादी को ग्राम कनवास तहसील कनवास मे स्थित ख.न. 1389 की 0.82 है0 जिसके साबिक ख.न. 1596/2163 रकबा 5 बीधा 1 बिस्वा है का खातेदार कृषक धोषित किया जाता है।

प्रतिवादी कम. 1 के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी कि जाती है कि वह राजस्व रेकार्ड के नाम दर्ज होने का लाभ उठाकरक ग्राम कनवास तहसील सांगोद हाल कनवास में स्थित खसरा न. 1389 की 0.82 है0 कृषि भूमि को किसी भी प्रकार से हस्तान्तरण आदि करने का प्रयास नही करें।

उपखण्ड अधिकारी
एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
कनवास जिला कोटा (राज0)
सांगोद

अन्तिम डिक्री बमुकदमे इब्तदाई

(ऑर्डर 20, रूल 6–7, जाबा दीवानी)

(Civil Procedure Code, Appendix "D"-1)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास मुकाम कनवास

न्यायालय ब इजलास लहरी कुमार जैन **R.A.S.** उपखण्ड अधिकारी एवं उप जिला मजिस्ट्रेट कनवास जिला कोटा (राज.)

सलामतुल्ला खान उम्र 77 वर्ष पुत्र रहमतुल्ला खान जाति मुस्लमान निवासी ग्राम कनवास तहसील कनवास।

बनाम

1. सलामतुल्ला पुत्र रहमतुल्ला जाति मुस्लमान निवासी कनवास सेठ इलाहीबख्श जी के मकान के पास कनवास तहसील कनवास जिला कोटा।
2. राजस्थान राज्य द्वारा तहसीलदार महोदय, तहसील कनवास जिला कोटा।

प्रतिवादी

वाद वास्ते घोषण इन्द्राज दुरस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88,89,188

निर्णय दि० 9/3/16

मुकदमा नं. 471/14 सन 2014 यह मुकदमा आव वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू उपखण्ड अधिकारी कनवास ब हाजरी वादी की ओर से एडवाकेट श्री अशोक कुमार जैन मिनजानिब मुदई व प्रतिवादी नं. 1 व 02 पेरोकार सरकार मिनजानिब मुदायलाह पेश होकर, हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जारी की जाती है कि वादी को ग्राम कनवास तहसील कनवास में स्थित खसरा नंबर 1389 की 0.82 है0 जिसके साबिक खसरा नंबर 1596/2163 रकबा 05 बीघा 01 बिरवा हे, का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। प्रतिवादी क्रम 01 के विरूद्व इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि वह राजस्व रेकार्ड में नाम दर्ज होने का लाभ उठा कर ग्राम कनवास तहसील में स्थित खसरा नंबर 1389 की 0.82 है0 कृषि भूमि को किसी भी प्रकार से हस्तानान्तरण आदि करने का प्रयास नंही करें। तदानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाती है। नीज ... x ...मुबलिग .... x ...बाबत ... x ..खर्चा इस मुकदमें का मय सूद व शरह ... x ..फीसदी सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक ... x ..को अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 25 माह 01/17 को जारी की गई।

मोहर ....

कार्यालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट कनवास (कोटा)

श्री ...
उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)

उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड कनवास
जिला कोटा

मुदई		रुपया	पै.	मुदायलाः		रुपया	पै.
स्टाम्प अर्जीदावा	....	NIL		स्टाम्प वकालतनामा	....	NIL	
स्टाम्प वकालतनामा	....			स्टाम्प अर्जी	....		
स्टाम्प वजह सबूत	....			महनताना वकील	....		
महनताना वकील	....			खर्चा गवाहान	....		
खर्चा गवाहान	....			फीस कमिश्नर	....		
फीस कमिश्नर	....			बाबत इजराय हुकमनामा	....		
बाबत इजराय हुकमनामा	....			मुतफर्रिक	....		
मुतफर्रिक	....			मीजान	....		
मीजान	....						

नोट :– इस खर्चे के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिक्री के जरिये दिलाया गया हो या नही। दर्ज करना चाहिये।

श्री लहरी कुमार जैन
उपखण्ड अधिकारी
कनवास जिला कोटा (राज०)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड कनवास
जिला कोटा